संख्या–202/XXVII(7)30(7)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषयः राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक देय वेतन/भत्तों की अवशेष (एरियर) राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के देय वेतन/भत्तों की बकाया राशि का भुगतान निम्न प्रकिया के तहत भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक की अवधि के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में तथा 01 जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक की अवधि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जायेगा।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष राशि में से आयकर की कटौती करते हुए संबंधित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि में जमा किया जायेगा। उक्त जमा राशि केवल ऐसे मामलों में जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो, को छोड़कर अन्य मामलों में 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाली जायेगी।
3. ऐसे कार्मिक, जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष राशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
4. नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तद्नुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि संबंधित कार्मिकों के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की अवशेष धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को नकद भुगतान की जायेगी।
5. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए है, को उक्त अवधि के एरियर का भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त नकद रूप में किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

कमशः.............2

संख्या– /XXVII(7)02/2016, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
12. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।